राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या – 572/2012/कोटा

मैसर्स गुन्दड़ा मोटर्स, प्रा.लि., कोटा। .....अपीलार्थी

बनाम्

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–बी, कोटा। .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित :
श्री पारस पाटनी,
अभिभाषक । .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री अनिल पोखरण,
उप–राजकीय अभिभाषक। .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 15.09.2014

निर्णय

अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त अपील अपील उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, (अपील्स) अजमेर (कैम्प–कोटा) (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित अपीलीय आदेश दिनांक 14.10.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है तथा जो अपील संख्या 66/आर.एस.टी./2010–11 के संबंध में है तथा जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–बी, कोटा (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 26 के तहत् निर्धारण वर्ष 2005–06 के लिये पारित निर्धारण आदेश दिनांक 01.09.2010 के जरिये कायम कर रू.14,348/–, अनवुर्ती ब्याज रू.10,187/– व अधिनियम की धारा 61 के तहत् आरोपित शास्ति रू.28,696/– की पुष्टि अपीलीय अधिकारी द्वारा किये जाने को विवादित किया गया है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आलोच्य अवधि का मूल निर्धारण आदेश दिनांक 27.12.2007 को वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत्त, कोटा द्वारा पारित किया जाकर तद्नुसार मांग राशियां कायम की गयी । तत्पश्चात्, प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी ने दस्तावेजों की जांच कर, यह पाया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा निर्धारण वर्ष 2004–05 में अन्तिम स्टॉक रू. 13,15,390/– होना प्रकट किया गया जबकि निर्धारण वर्ष 2005–06 में प्रारम्भिक स्टॉक रू. 11,55,971/– होना घोषित किया गया । इस प्रकार प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा रू.159419/– का कम स्टॉक का उचित्रा विक्रय होना अवधारित कर, उक्त विक्रय पर 9 प्रतिशत की दर से कर

लगातार.....2

अनुवर्ती ब्याज व शास्ति की मांग राशियां कायम कर निर्धारण आदेश पारित किया गया । उक्त पारित आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार कर दी गयी । जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है ।

उभयपक्षीय बहस सुनी गयीं ।

अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने प्रारम्भिक आपत्ति उठाकर उपस्थित होकर कथन कि प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवायी हेतु नोटिस जारी नहीं किया गया जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 के नियम 47 के तहत् एक विधिक आवश्यकता है । अतः गुणावगुण पर विचार किये बिना ही उक्त आधार पर ही अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत परिशोधन आवेदन पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना कर, प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार करने की प्रार्थना की गयी ।

गुणावगुण पर कथन किया कि प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा उचित्त विक्रय को प्रमाणित किये बिना ही केवल अनुमान के आधार पर बिना अपीलार्थी व्यवहारी की लेखा पुस्तकों की जांच किये ही मांग राशियां कायम की गयी हैं जो विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है । अपने उक्त तर्कों के आधार पर दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों को अपास्त कर, प्रस्तुत अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने उपस्थित होकर प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेशों का समर्थन कर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी ।

उभयपक्षीय बहस सुनी गयी। रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया। रिकॉर्ड के परिशीलन से विदित होता है कि प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवायी हेतु नोटिसेज जारी नहीं किये गये हैं जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित करनियमों, 2006 के नियम 48 के तहत् बाध्यकारी है। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा करारोपण से पूर्व अपीलार्थी व्यवहारी को प्रथम नोटिस दिनांक दिनांक 18.07.2008 को दिनांक 30.07.2008 के लिये (पत्रावली के पृष्ठ कमांक 12 पर उपलब्ध) व द्वितीय नोटिस दिनांक 19.02.2009 को दिनांक 06.03.2009 के लिये जारी किया गया (पत्रावली के पृष्ठ कमांक 09 पर उपलब्ध) है। उक्त जारी नोटिस की पालना में अपीलार्थी व्यवहारी के अधिकृत प्रतिनिधि ने दिनांक 06.03.2009 को उपस्थित होकर स्थगन चाहा जिसे

लगातार.....3

प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा स्वीकार कर, पेशी दिनांक 17.03.2009 नियत कर, अधिकृत प्रतिनिधि को सूचित किया गया । इस संबंध में यह विशिष्ट रूप से विचारणीय बिन्दू है कि दिनांक 17.03.2009 से दिनांक 01.09.2009 तक प्रकरण के संबंध में निर्धारण अधिकारी द्वारा किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गयी एवम् दिनांक 01.09.2009 की आदेशिका के अनुसार दिनांक 14.09.2009 के लिये नोटिस जारी करना आदेशिका में अंकित है । परन्तु उक्त संदर्भित नोटिस पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। तत्पश्चात्, लगभग एक वर्ष व्यतीत होने के बाद प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 01.09.2010 पारित कर, मांग राशियां कायम की गयी हैं । प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा उपर्युक्त वर्णित की गयी कार्यवाही के आधार पर यही निष्कर्ष निकलता है कि प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा बिना संचेतन मस्तिष्क का इस्तेमाल किये ही निर्धारण आदेश पारित कर, मांग राशि कायम की गयी है जिसे विधिक नहीं माना जा सकता । अतः उपर्युक्त तथ्यात्मक स्थिति के आधार पर पारित निर्धारण आदेश दिनांक 01.09.2010 की पुष्टि करने में भी अपीलीय अधिकारी द्वारा विधिक त्रुटि की गयी है । फलस्वरूप, दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों को अपास्त कर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर प्रकरण प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर यह निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपीलार्थी व्यवहारी को सुनवायी हेतु नोटिज जारी कर, इस संबंध में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत लेखा पुस्तकों की जांच कर, आदेश पारित करें ।

परिणामतः, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कर, उपर्युक्तानुसार प्रकरण निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया जाता है।

निर्णय प्रसारित किया गया ।

15.9.2015
(मदन लाल)
सदस्य